भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2571
02 अगस्त, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: फूलों की खेती के लिए योजना

2571. श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री जी.सेल्वम:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
डॉ. डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री धनुष एम. कुमार:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में फूलों की खेती की संभावनाओं का दोहन करने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में फूलों की कितनी मात्रा उत्पादित की गई हैं;

(ग) क्या फूलों की खेती में खेती का क्षेत्र प्रत्येक वर्ष घट रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में फूलों की खेती की क्षमता का दोहन करने के लिए एकीकृत बागवनी विकास मिशन (एमआईडीएच) को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ड.) क्या सिंचाई के लिए पानी की कमी ने विभिन्न राज्यों में फूलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई राहत/वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना क्रियान्वित कर रहा है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एमआईडीएच के अंतर्गत आते हैं। एमआईडीएच के तहत, खुली परिस्थितियों में फूलों की खेती के साथ-साथ संरक्षित परिस्थितियों में और पौध रोपण सामग्री आदि की लागत के लिए सहायता प्रदान की जाती है। सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वस्तु	लागत मानदंड	सहायता का पैटर्न
I	**क्षेत्र विस्तार (अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी के लिए)**		
i	कट फ्लावर्स	1.00 लाख रु./हेक्टेयर	छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागत का 40% और सामान्य क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के किसानों के लिए लागत का 25%, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, जनजातीय उप-योजना क्षेत्र, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह में लागत का 50%।
ii	बल्बलस फ्लावर्स	1.50 लाख/हेक्टेयर	
iii	लूज फ्लावर्स	0.40 लाख रु./हेक्टेयर	
II	**संरक्षित खेती**		
i	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत आर्किड और एन्थ्यूरियम की पौध रोपण सामग्री और खेती की लागत।	700 रु./वर्ग मी.	लागत का 50% से 4000 वर्गमीटर तक प्रति लाभार्थी सीमित है।
ii	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत पौध रोपण सामग्री और कार्नेशन और जरबेरा की खेती की लागत।	610 रु./वर्ग मी.	
iii	पॉली हाउस/शेड नेट हाउस के तहत गुलाब और लिलियम की पौध रोपण सामग्री और खेती की लागत.	426 रु./वर्ग मी.	

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, फूलों की खेती सहित बागवानी के विकास के लिए "बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" और "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागार और भंडारण के निर्माण / विस्तार / आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है।

(ख): पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में फूलों के उत्पादन का विवरण अनुबंध में है।

(ग): फूलों की खेती का क्षेत्र प्रत्येक वर्ष कम नहीं हो रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान फूल उत्पादित क्षेत्र का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	क्षेत्र ('000 हेक्टेयर में)
2017-18	324.003
2018-19	303.208
2019-20	**323.325**
2020-21	322.021
2021-22	275.542

(घ): फूलों की खेती सहित बागवानी के समग्र विकास के लिए एमआईडीएच योजना क्रियान्वित की जा रही है। एमआईडीएच योजना की स्थापना अर्थात वर्ष 2014-15 से लेकर 2021-22 तक, क्षेत्र विस्तार के घटक के तहत खुली परिस्थितियों में फूलों की खेती के तहत 71,212 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है।

(ड.) एवं (च): राज्यों से ऐसी कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(छ): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान फूलों की खेती सहित बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एमआईडीएच के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन (भारत सरकार)	निर्मुक्ति (भारत सरकार)
1.	2019-20	1960.60	1105.79
2.	2020-21	1802.00	1143.17
3.	2021-22	1408.85	709.64

वर्ष 2022-23 के दौरान, एमआईडीएच के तहत 1309.24 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में पुष्प उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

'000 एमटी में उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
1	आंध्र प्रदेश	530.35	545.54	298.92	311.05
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	88.52	89.38	89.77	93.38
4	बिहार	10.21	7.44	11.14	11.14
5	छत्तीसगढ़	119.11	63.43	233.68	230.74
6	गुजरात	195.86	195.99	189.34	189.34
7	हरियाणा	76.13	40.93	18.69	18.03
8	हिमाचल प्रदेश	18.03	16.62	11.75	11.75
9	जम्मू और कश्मीर	31.44	0.88	1.23	1.23
10	झारखंड	8.61	8.87	9.12	7.14
11	कर्नाटक	253.24	422.55	503.01	366.35
12	केरल	44.92	44.92	44.92	0.24
13	मध्य प्रदेश	355.09	385.89	412.73	422.15
14	महाराष्ट्र	59.96	72.45	62.05	68.27
15	मणिपुर	0.26	0.09	0.18	0.18
16	मेघालय	0.02	1.55	0.35	0.36
17	मिजोरम	2.25	0.80	0.80	0.80
18	नागालैंड	24.40	25.02	0.22	0.22
19	ओडिशा	53.44	62.93	65.06	65.30
20	पंजाब	13.07	13.25	13.70	13.78
21	राजस्थान	4.85	12.88	8.31	8.12
22	सिक्किम	16.59	16.59	16.59	16.59
23	तमिलनाडु	534.12	508.58	521.25	598.75
24	तेलंगाना	33.93	61.00	47.99	71.81
25	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	112.54	94.88	118.48	119.44
27	उत्तराखंड	17.93	18.28	14.28	14.38
28	पश्चिम बंगाल	291.64	288.24	285.72	294.57
29	अन्य	13.20	0.74	0.76	0.78
	अखिल भारतीय योग	2909.72	2999.71	2980.04	2935.89

* द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार

*****